

प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनरिपेक्ष

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने [42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976](#) के माध्यम से [संविधान की प्रस्तावना](#) में [समाजवादी](#) और [पंथनरिपेक्ष](#) शब्दों को शामिल करने को प्राभावी बनाए रखा।

- [अनुच्छेद 368](#) के तहत संसद [प्रस्तावना](#) सहित संविधान के अन्य प्रावधानों में संशोधन कर सकती है।
- [धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार](#) (अनुच्छेद 25-28) के तहत अपनी पसंद के धर्म का प्रचार, अभ्यास एवं प्रसार करने का अधिकार तथा स्वतंत्रता मिलती है।
- [पंथनरिपेक्षता](#) को भारत की अद्वितीय विशेषता के रूप में बरकरार रखा गया (जिसमें राज्य द्वारा सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता हो), जिसमें [1994](#) संदर्भ दिया गया।
 - संविधान के [अनुच्छेद 14, 15 और 16](#) के तहत [धार्मिक आधार](#) पर नागरिकों के वरिद्ध [भेदभाव को प्रतिबंधित](#) किया गया है। इसके साथ ही वधिके समान संरक्षण तथा लोक नयोजन में समान अवसर की गारंटी प्रदान की गई है।
 - [अनुच्छेद 44](#) सरकार को [समान नागरिक संहिता](#) के लिये प्रयास करने की अनुमति देता है और यह प्रस्तावना के पंथनरिपेक्ष शब्द द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।
- भारत में [प्रचलित समाजवाद का उद्देश्य](#) नागरिकों के [आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान](#) के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
 - इससे [नज्जी उद्यमशीलता](#) एवं व्यवसाय करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जैसे [अनुच्छेद 19\(1\)\(g\)](#) के तहत मूल अधिकार माना गया है।

और पढ़ें: [संविधान के अभिन्न अंग के रूप में समाजवादी एवं पंथनरिपेक्षता](#)